

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

महराजगंज, देवरिया, प्रतापगढ़, अमेठी, बांदा, भदोही, उन्नाव, बुलन्दशहर, फतेहपुर,
प्रयागराज, रामपुर, मेरठ, बस्ती तथा लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2021

विषय:- कोविड-19 के दृष्टिगत हुए व्यय के लम्बित देयों के भुगतान हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड-19 के प्रबन्धन के लिए जनपदों को स्क्रीनिंग कैम्प, कम्युनिटी किचेन, कोरन्टाईन सेन्टर की स्थापना एवं संचालन, फूड पैकेट, 07/15 दिन की राशन किट, परिवहन किराया/ईंधन आदि में हुए व्यय के लम्बित भुगतान हेतु की गई मांग के दृष्टिगत **रु० 13,11,06,000/- (रु० तेरह करोड़ ग्यारह लाख छः हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि
1	2	3
1	अमेठी	164.97
2	बांदा	47.10
3	बस्ती	33.02
4	भदोही	17.00
5	बुलंदशहर	35.85
6	देवरिया	302.31
7	फतेहपुर	2.33
8	लखनऊ	257.44
9	महराजगंज	110.35
10	मेरठ	18.00
11	प्रतापगढ़	67.42
12	प्रयागराज	184.60
13	रामपुर	6.38
14	उन्नाव	64.29
	योग	1311.06

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

कुल: 2

- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रु0 13,11,06,000/- (रु0 तेरह करोड़ ग्यारह लाख छः हजार मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1604(1)/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 7- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।
- 8- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।